जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 273 प्रभात चूरू, शुक्रवार 30 जनवरी, 2026 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

राजस्थान के वरिष्ठ नेतागण, खड़गे व राहुल गांधी से मिले दिल्ली में

मुलाकात का मुख्य ध्येय, ऐसा लगा है कि सचिन पायलट के खिलाफ वातावरण बनाना, जिससे डोटासरा अपने प्रदेशाध्यक्ष पद पर बने रहें व सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बनने से रोका जा सके।

- रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जनवरी। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ एक बैठक हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संदिग्ध रुप से अनुपस्थित रहे।

दिलचस्प बात यह है कि गहलोत एक महीने से अधिक समय से राजस्थान से गायब थे और लोगों द्वारा उनके ठिकाने को लेकर सवाल उठाए जाने के बावजूद, वे चुप्पी साधे हुए थे। हालांकि, दिल्ली में होने वाली बैठक से ठीक पहले आज सुबह अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें ठंडे स्थानों से दूर रहने और गर्म जलवायु में रहने की सलाह दी है, क्योंकि वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।

- इस बैठक में अशोक गहलोत की अनुपस्थिति काफी चर्चित रही, हालांकि, बैठक से ठीक पहले गहलोत ने ट्वीट करके यह उजागर किया था कि वे मुम्बई में हैं तथा उन्हें निमोनिया हो गया था। अतः डॉक्टरों ने उन्हें हिदायत दी है कि ठंड से बचें और ऐसी गरम जगह पर रहें, जहाँ तापमान ज्यादा ठंडा न हो, बल्कि थोड़ा गरम हो।
- गहलोत ने यही बात राहुल गांधी को दोहराई, जब राहुल ने उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, खड़गे द्वारा गहलोत को फोन मिलाने पर।
- भंवर जितेन्द्र सिंह, प्रभारी रंधावा, कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल आदि की पूरी कोशिश है कि डोटासरा, प्रदेशाध्यक्ष बने रहें तथा सचिन पायलट को किसी भी तरह प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी से दूर ही रखा जा सके।

बैठक के दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि अशोक गहलोत कहाँ हैं, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहलोत को फोन मिलाया और फोन राहुल गांधी को दे दिया। राहुल ने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, और उन्हें बताया गया कि गहलोत को निमोनिया हुआ था और वे मुंबई में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। गहलोत की बेटी मुंबई में रहती हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि गहलोत की अधिकांश संपत्ति मुंबई में ही है।

इस बैठक में सचिन पायलट के ख़िलाफ़ एक तरह से घेराबंदी भी देखने को मिली, जहाँ वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा की जमकर तारीफ़ की, चाहे वह एसआईआर हो, बीएलए हो, मनरेगा हो या पार्टी संगठन व पार्टी को एकजुट रखने का मुद्दा हो।

डोटासरा और जूली की सराहना करने वालों में भंवर जितेन्द्र सिंह, एआईसीसी प्रभारी रंधावा और संगठन मामलों के एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल प्रमुख रुप से शामिल थे।

सूत्रों के अनुसार, डोटासरा को मजबूत करने, उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर बनाए रखने और किसी भी तरह से यह सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि सचिन पायलट डोटासरा की जगह न ले सकें।

भंवर जितेन्द्र सिंह की गांधी परिवार तक सीधी पहुँच मानी जाती है और वे लगातार 'गुपचुप कैंपेन' चलाने के लिए जाने जाते हैं। रंधावा, डोटासरा के काफ़ी क़रीबी माने जाते हैं, जिसके पीछे जाट समुदाय की बॉन्डिंग को भी कारण बताया जा रहा है। वहीं, वेणुगोपाल भी काफी समय से डोटासरा की प्रशंसा करते आ रहे हैं, ताकि प्रदेश कांग्रेस की कमान उनके पसंदीदा व्यक्ति के हाथों में बनी रहे।

रंधावा ने आगामी राज्यसभा चुनावों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीरजा मोदी स्कूल सीधे हाई कोर्ट में याचिका नहीं लगा सकता- सीबीएसई

जयपुर, 29 जनवरी। कक्षा चार की बालिका अमायरा की मौत के मामले में नीरजा मोदी स्कूल की समबद्धता वापस लेने के मामले में सीबीएसई ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर दिया है। हालांकि जवाब रिकॉर्ड पर नहीं आने के चलते, जस्टिस बिपिन गुप्ता की एकल पीठ ने नीरजा मोदी स्कूल की याचिका पर शुक्रवार के लिए सुनवाई टाल दी।

सीबीएसई की ओर से अधिवक्ता एमएस राघव ने कहा कि स्कूल प्रशासन को सीधे हाईकोर्ट में याचिका पेश करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए सीबीएसई चेयरमैन के समक्ष अपील पेश करनी चाहिए थी। घटना के बाद दो

- सीबीएसई के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में कहा कि स्कूल को पहले सीबीएसई चेयरमैन के समक्ष अपील पेश करनी चाहिए।

सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। जिसकी रिपोर्ट में स्कूल में कई तरह की गंभीर खामियां होने की बात सामने आई है, जैसे स्कूल के बच्चे आइडी कार्ड नहीं लगाते, जिससे घटना के आधा घंटा बाद तक यह पता नहीं चला कि चौथी मंजिल से कूदने वाली छात्रा कौन थी। इसके अलावा, इमारत पर सेफ्टी नैट भी नहीं था। इसके होने से घटना रोकी जा सकती थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इकोनॉमिक सर्वे ने भी ''डोमैस्टिक डिमांड'' को ड्राइविंग इंजन माना

- अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जनवरी। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी इकोनॉमिक सर्वे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के सम्बंध में ''वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिर विकास'' का नज़रिया पेश किया है, जिसमें ''सावधानी बरतने, लेकिन निराशावादी न होने'' की बात कही गई है।

इकोनॉमिक सर्वे (आर्थिक सर्वेक्षण) में वित्त वर्ष 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें घरेलू कारकों की प्रमुख भूमिका बताई गई है।

सर्वेक्षण के अनुसार, वैश्विक माहौल अभी भी नाजुक बना हुआ है, हालांकि यह उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसके बावजूद भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार में बंटवारा और वित्तीय कमजोरियां बढ़ रही हैं।

भारत के लिए राहत की बात यह है कि सर्वेक्षण मानता है कि वैश्विक हालात तत्काल बड़े आर्थिक दबाव की बजाय, बाहरी अनिश्चितताएं पैदा कर सकते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, ''प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों में धीमी वृद्धि, शुल्कों के कारण व्यापार में रुकावट और पूंजी प्रवाह में उतार-चढ़ाव समय-समय पर निर्यात और निवेशकों की भावना पर असर डाल सकते हैं।''

- वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ''इकोनॉमिक सर्वे'' के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, विश्व की इकॉनमी में अनिश्चितता तो जरूर ला रही हैं, पर, देश की इकॉनमी पर इसका खास असर नहीं हुआ है।
- इसका मुख्य कारण है, देश की ''डोमैस्टिक डिमांड'' (आतंरिक खपत) के आंकड़े।
- सर्वे के अनुसार, देश की इकॉनमी के शानदार प्रदर्शन व महँगाई की दर पर नियंत्रण के कारण सरकार अब इस स्थिति में है कि नये-नये प्रोजैक्ट ला सके व महत्वाकांक्षी स्कीम्स ला सके।
- इससे, ''डोमैस्टिक डिमांड'' में उछाल आयेगा व नये रोज़गार की उपलब्धता बढ़ेगी।

घरेलू अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर आते हुए सर्वे ने कहा कि 2025-26 में घरेलू मांग ने आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाया। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अंतिम निजी उपभोग व्यय (पीएफसीई) की हिस्सेदारी बढ़कर 61.5 प्रतिशत हो गई।

सर्वे में इस बात पर जोर दिया गया है कि खपत में मजबूती एक अनुकूल व्यापक आर्थिक माहौल को दर्शाती है, जिसकी विशेषता, कम महंगाई, स्थिर रोजगार स्थिति और बढ़ती वास्तविक क्रय शक्ति है।

इसके अलावा, मजबूत कृषि प्रदर्शन से समर्थित स्थिर ग्रामीण खपत और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के सरलीकरण से शहरी खपत में धीरे-धीरे सुधार के कारण उपभोग मांग की गति व्यापक आधार पर बनी रही।

इसी संदर्भ में आर्थिक सर्वेक्षण में एक विरोधाभास नजर आता है।

आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तावना में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंतनागेश्वरन ने कठोपनिषद का हवाला देते हुए कहा है कि भविष्य की तृप्ति के लिए वर्तमान उपभोग पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शशि थरूर, राहुल गांधी व खड़गे से मिलने गए

लम्बी मुलाकात में शिकवे-शिकायतें दूर हुईं तथा थरूर ने एक ही आग्रह किया, राहुल उन पर विश्वास करें

- रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जनवरी। लगातार सुर्ख़ियों में रहे शशि थरूर की अंततः राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक लंबी और विस्तृत बैठक हुई, जिसमें कई गलतफ़हमियों को दूर किया गया। इस बैठक के बाद थरूर और राहुल गांधी के बीच एक कार्यकारी (वर्किंग) संबंध स्थापित हुआ।

यह बैठक केरल के कुछ सक्रिय कांग्रेस सांसदों की पहल का नतीजा थी, जिन्होंने के.सी. वेणुगोपाल से मुलाक़ात कर ज़ोर दिया था कि राहुल गांधी और शशि थरूर को आपस में मिलकर अपने मतभेद सुलझाने चाहिए, अन्यथा कांग्रेस केरल खो सकती है।

एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने कहा कि अधिकांश गलतफ़हमियाँ के.सी. वेणुगोपाल ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते पैदा की थीं। उनका कहना था कि यदि राहुल गांधी अब भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वेणुगोपाल किस तरह अपनी महत्वाकांक्षा, केरल का मुख्यमंत्री

- यह बैठक कांग्रेस के केरल से निर्वाचित सांसदों के जोर देने पर आयोजित की गई थी। इन सांसदों ने दबाव बनाया था कि राहुल गांधी व शशि थरूर अपने मतभेद साफ करके, नेतृत्व प्रदान करें राज्य में, अन्यथा कांग्रेस केरल में चुनाव हार जाएगी।
- शशि थरूर ने राहुल से यह भी कहा कि उन्होंने केरल में एक आमसभा को संबोधित करते हुए, थरूर का नाम भी नहीं लिया था, हालांकि वे मंच पर बैठे थे। राहुल ने जवाब दिया, उनको एक चिट दी गई थी, जिसमें वे नाम लिखे हुए थे, जिन्हें राहुल को संबोधित करना था, अपना भाषण शुरु करने से पहले। यह आम धारणा है, यह चिट में नाम न होना, वेणुगोपाल की शरारत थी।
- राहुल गांधी ने उसी समय यह भी आदेश दिए कि प्रदेशाध्यक्ष को पाबंद किया जाए कि हर पीसीसी बैठक में थरूर को लाज़मी तौर पर आमंत्रित किया जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जद (एस) प्रमुख देवेगौड़ा प्रधानमंत्री से मिले

नयी दिल्ली 29 जनवरी। पूर्व प्रधानमत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने गुरुवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने देश के विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात के बारे में

- देवेगौड़ा राज्यसभा सदस्य हैं तथा उनका दल राजग का हिस्सा है।

जानकारी दी।

मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा , '' एच.डी. देवेगौड़ा जी के साथ उत्कृष्ट बैठक हुई। उनके महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार सराहनीय हैं। भारत के विकास के प्रति उनका उत्साह भी समान रूप से प्रशंसनीय है।''

देवेगौड़ा जनता दल (एस) के प्रमुख हैं और अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। जनता दल (एस) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में होने के नाते केन्द्र में सरकार में भी भागीदार है।

नफरती बयानबाजी कर भारी कानूनी विवाद में पड़ सकते हैं असम के मु.मंत्री

असम के मु.मंत्री हिमंत बिस्वा ने लोगों को मुस्लिमों को परेशान करने के लिए उकसाया

-श्रीनंदन झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जनवरी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा अपने बयानों को लेकर विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से ''मियां मुस्लिम'' रिक्शा चालकों को कम पैसे देने के लिए कहा था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ''मियां'' समुदाय को ''काबू में रखने'' के लिए उन्हें परेशान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे स्थानीय समुदाय पर हावी न हो सकें।

इससे पहले वे यह भी दावा कर चुके हैं कि विशेष पुनरीक्षण (स्पेशल रिवीजन) अभियान के दौरान पांच लाख मियां मुसलमानों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे।

सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति विभिन्न राज्यों, खासकर असम चुनाव प्रचार का लगातार हिस्सा रही है। असम में 1980 के शुरुआती वर्षों में ''जनसांख्यिकीय घुसपैठ'' के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन हुआ था। वर्ष 2014 में असम की एक रैली में नरेन्द्र मोदी, जो तब भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, ने अवैध बांग्लादेशी

- मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बयान में लोगों से अपील की कि मुसलमानों को परेशान किया जाए ताकि वे कमज़ोर हो जाएं। उन्होंने तरीका भी बताया, जैसे मुस्लिम रिक्शा वाले को कम किराया दिया जाए।
- ऐसी टिप्पणियाँ गैर जमानती, संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आती हैं और अगर यह बयान संवैधानिक पद पर बैठे किसी नेता, जैसे मुख्यमंत्री, का हो तो बेहद गंभीर मामला बनता है।
- कांग्रेस की असम यूनिट ने इस संबंध में याचिका भी दायर की है।

प्रवासियों से कहा था कि वे अपना सामान बांधकर लौट जाएं। बारह साल बाद, केन्द्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार होने के बावजूद यह समस्या अब भी बनी हुई है।

जब असम में नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिज़न्स (एन.आर.सी.) तैयार किया गया, तब पाया गया कि 19 लाख अवैध प्रवासियों में से 11 लाख हिंदू थे। हैरानी की बात यह है कि भाजपा एनआरसी के इन निष्कर्षों को स्वीकार नहीं करती, लेकिन मौजूदा विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मियां समुदाय को निशाना बना रही है। इससे विपक्षी भड़क गए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि यह अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित करने के लिए किया जा रही एक लक्षित और सांप्रदायिक कवायद है।

सभी सरकारों को अवैध प्रवासियों को हटाने का अधिकार है। लेकिन यह अलग बात है कि कोई मौजूदा मुख्यमंत्री किसी खास समुदाय को सजा देने की खुली बात करे और उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित करने की धमकी दे। इस तरह की बातें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हैं। साथ ही, यह बात भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए के तहत भी आ सकती हैं, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास या भाषा के आधार पर अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी, नफरत या वैमनस्य फैलाने को अपराध मानती है। यह अपराध संज्ञेय है, जमानत नहीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नालों की सफाई के दौरान मौत पर 30 लाख मुआवजा

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मैला ढोने और नालों की सफाई के दौरान होने वाली मौतों के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने का उसका आदेश पुराने मामलों पर भी लागू होगा, यदि उनमें अभी तक मुआवजा

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह आदेश पुराने मामलों पर भी लागू होगा।

तय नहीं हुआ है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने अक्टूबर 2023 के बलराम मामले में ऐसी मौतों के लिए मुआवजे की राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी थी। यह स्पष्टीकरण राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक आवेदन के बाद आया है।

नालसा ने कहा था कि अलग-

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने नए यू.जी.सी. नियमों के क्रियान्वयन पर स्टे लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत निवारण व्यवस्था का गठन जातिगत आधार पर होने को गलत माना

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जनवरी। मोदी सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) नियम, 2026 पर रोक लगा दी। देशभर में इन नियमों के खिलाफ विरोध और आलोचना हो रही थी।

ये नियम 23 जनवरी को अधिसूचित किए गए थे। कई याचिकाकर्ताओं ने इन्हें चुनौती दी थी। उनका कहना था कि ये नियम अस्पष्ट, भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण हैं और संविधान तथा यूजीसी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करते हैं।

नए नियमों पर रोक लगाते हुए अदालत ने कहा कि फिलहाल 2012 के यूजीसी नियम ही लागू रहेंगे। कोर्ट ने नियम 3 (सी) को लेकर गंभीर चिंता जताई। यह नियम जाति आधारित भेदभाव से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि इसमें स्पष्टता नहीं है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट के अनुसार, इस नियम की भाषा में बदलाव की जरूरत है।

2026 के नए नियम कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में जाति आधारित भेदभाव से निपटने के लिए बनाए गए थे। नियमों के तहत, संस्थानों को विशेष समितियां और हेल्पलाइन बनानी थीं, ताकि छात्र, खासकर अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्र, अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।

लेकिन इस कदम का कड़ा विरोध भी हुआ। सामान्य वर्ग के कई छात्रों का कहना है कि यह फ्रेमवर्क उन्हें हाशिये पर डाल सकता है। उनका तर्क है कि नियम कुछ वर्गों पर ही केन्द्रित हैं, जबकि दूसरों के लिए कोई स्पष्ट सुरक्षा या प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

- सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इससे देश में जातिगत विभाजन और बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं।
- 23 जनवरी को अधिसूचित इन नियमों का देश भर में सवर्णों द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है।
- इन नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं में कहा गया है कि ये नियम अस्पष्ट हैं और संविधान व यूजीसी एक्ट, 1956 के खिलाफ हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि फिलहाल वर्ष 2012 के यूजीसी रैगुलेशन ही मान्य होंगे। बैंच ने रैगुलेशन 3 (सी) पर विशेष रूप से चिंता जताई और कहा कि इसका भारी दुरुपयोग हो सकता है।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए कोई अनिवार्य प्रतिनिधित्व या सुरक्षा का प्रावधान नहीं करते हैं।

बुधवार को, ज्यादातर सामान्य वर्ग के छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में प्रदर्शन किया और नए नियमों को वापस लेने की मांग की। इसी तरह के प्रदर्शन लखनऊ से भी सामने आए, जहां छात्रों ने लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर इकट्ठा होकर यूजीसी नीतियों के खिलाफ नारे लगाए।

विरोध के बीच केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने छात्रों को आश्वासन देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इन नियमों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, ''मैं सभी को भरोसा दिलाता हूं कि कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई भी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।''

यह विवाद राजनीतिक हलकों तक भी पहुंच गया। रायबरेली के सलोन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने नए यूजीसी नियमों से असंतोष जताया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने इन नियमों को विभाजनकारी बताया और कहा कि वे ऐसे कानून का समर्थन नहीं कर सकते, जिसे वे अन्यायपूर्ण मानते हैं।

मोदी सरकार ने यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) नियम, 2026 को एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के वोटों को एकजुट करने के उद्देश्य से पेश किया था। लेकिन इन नियमों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अजित पवार के विमान का ब्लैक बॉक्स मिला

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैकबॉक्स बरामद हो गया है।

जांच में शामिल अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि दुर्घटनाग्रस्त

- एएआईबी का जाँच दल बुधवार को बारामती में।

लीयरजेट 45 विमान का ब्लैकबॉक्स दुर्घटनास्थल से बरामद किया गया है।

इस विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उनके एक निजी सुरक्षा अधिकारी तथा एक सहायक और चालक दल के दो सदस्यों की मौत हो गयी थी। एएआईबी के महानिदेशक के नेतृत्व में जांच दल बुधवार को ही बारामती पहुंच गया था। इसके साथ नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के तीन अधिकारियों की मुंबई की टीम भी जांच कर रही है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)